तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ...
26/8/19	पत्रावली पेश हुई P.O. साहब होलक में पधारे होने से अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 16/9/19 को पेश हो।
16/9/19	पत्रावली पेश हुई P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 20/9/19 को पेश हो।
20/9/19	पत्रावली पेश हुई, वकील अपीलांट बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश अपीलार्थ मुल्तवी हेतु दि० 25/9/19 को पेश हो।
25/9/19	पत्रावली आज पेश हुई अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बेगूं को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है, कि नामान्तरण संख्या 99 मोजा तुरकी का निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बेगूं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह वर्णित भूमि के पंजीकृत विक्रय अनुसार एवं अपीलान्ट के नाम सही जानकारी प्राप्त करते हुए पुनः नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर कम हो। 25/9/19 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अदालत ...
करम मुकदमा ...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

अपील पत्र संख्या :: 01/2019

वेणा पिता कालू जी जाति धाकड निवासी तुरकडी प0ह0 रायता तह0 बेगूँ

अपीलांट

बनाम

1. केलीबाई पति नारायणजी जाति धाकड निवासी अमरपुरा तह0 बेगूँ
2. ग्राम पंचायत रायता जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रायता प.स. बेगूँ
3. तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील बेगूँ रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला-चित्तौडगढ़

उपस्थित: श्री सी.पी.शर्मा

अधिवक्ता अपीलान्ट आदेश दिनांक 25.09.2019

आदेश विरूद्ध नामान्तरण संख्या 99 प्रमाणित दिनांक 17.05.1979 ग्राम तुरकडी ग्राम पंचायत रायता तहसील बेगूँ

अपीलांट की ओर से अपील विरूद्ध नामा.सं. 99 के लिए अधिवक्ता श्री सी. पी.शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया गया कि ग्राम तुरकडी प.ह. मण्डल रायता में स्थित आराजी कुल किता–5 खसरा संख्या 447, 457, 459, 460, 669 रकबा 1.1730 हैक्टर भूमि तथा खसरा नंबर 450, 455, 758 कुल किता– 3 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि मु. केलीबाई पति नारायण धाकड निवासी अमरपुरा के नाम पर स्थित थी। मु. केलीबाई ने इस भूमि मे से खसरा नंबर 447, 457, 459, 460, 669, 450, 455 कुल किता–7 कुल रकबा 9बीघा 3 बिस्वा भूमि को अपीलान्ट वेणा पिता कालू धाकड निवासी तुरकडी तहसील बेगूँ को दिनांक 15.10.1974 को विक्रय कर कब्जा अपीलान्ट को सिपुर्द कर दिया।

यह कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.10.1974 के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरण संख्या 99 अंकित कर इसका प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत रायता ने दिनांक 17.05.1979 को किया है। वक्त प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत रायता द्वारा प्रमाणीकरण पृष्ठांकन में अपीलान्ट वेणा पिता कालू धाकड के स्थान पर गलती से कालू पिता वेणा धाकड लिख दिया जो कि मात्र तकनीकी भूल है। यह कि किसी भी दस्तावेज में तकनीकी भूल को किसी भी वक्त सुधारा जा सकता है लेकिन इस पृष्ठांकन में नाम में रही त्रुटी को कभी सुधारा नहीं गया है।

यह कि अपीलान्ट वेणा पिता कालू धाकड को इस पृष्ठांकन में अपने नाम में गलती की जानकारी दिनांक 11.06.2049 को श्रीमान भूमिधारी जी को उक्त नामान्तरण के अमल दरामद हेतु दिये प्रार्थना पत्र पर हुई जिससे इस तकनीकी गलती के लिए नामान्तरण के प्रमाणीकरण में संशेधान हेतु यह पअी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। नामान्तरनण संख्या 99 का प्रमाणीकरण दिनांक 17.05.1979 को हुआ है लेकिन इस तथ्यात्मक तकनीकी नाम में गलती की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई है इसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.06.2019 को माननीय भूमिधारी के समक्ष नामान्तरण का अमल दरामद करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हुई है जिससे अपील अन्दर अवधि है फिर भी अपीलान्ट की ओर से दिनांक 10.05.79 से 11.06.2019

(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

तक की व्यतीत हुई अवधि की माफी हेतु दफा–05 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है जो स्वकार किया जाने योग्य होकर अपील को अन्दर अवधि माने जाने योग्य है।

यह कि उक्त नामान्तरण ग्राम तुरकडी तहसील बेगूँ का होने से अपील का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से यह अपील श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः माननीय न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्निा है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 99 दिनांक 17.05.79 के प्रमाणीकरण के पृष्ठांकन में अपीलान्ट का नाम वेणा पिता कालू धाकड के स्थान पर कालू पिता वेणा धाकड लिखा गया है को अपील स्वीकार कर बेवणा पिता कालू धाकड निवासी तुरकडी किए जाने का संशोधन स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तरण संख्या 99 का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में किए जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर बाद जॉच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, प्रकरण में ग्राम पंचायत रायता द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील प्रकरण संख्या 01/2019 में अंकित नामान्तरण संख्या 99 के पृष्ठांकन में वेणा पिता कालू धाकड निवासी तुरकडी के स्थान पर कालू पिता वेणा धाकड तकनीकी भूल व गलती से लिखा गया है। अतः पृष्ठांकन कालू पिता वेणा के स्थान पर वेणा के स्थान पर वेणा पिता कालू धाकड का संशोधन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस को सुना गया, अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्णित भूमि दिनांक 15.10.1974 को जरिये पंजिकृत विकय विलेख से कय की गई है जिसकानामान्तरण संख्या 99 जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया है वह दिनांक 17.5.1979 को किया गया, उक्त नामान्तरण में नाम की त्रुटी की जानकारी प्रार्थी अपीलान्ट को दिनांक 11.06.2019 को हुई जिसके लिए अपीलान्ट ने तहसीलदार साहब बेगूँ के समक्ष सही अमल दरामद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से यह अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो दिनांक 13.06.2019 को प्रस्तुत की है जिसमें किसी प्रकार से कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि दिनांक 10.05.79 से 11.06.2019 तक की व्यतीत हुई अवधि को न्यायहित में कण्डोन फरमाया जावें। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल नामान्तरण, नकल पंजीकृत विकय पत्र एवं जमाबंदी के अवलोकन से पाया गया कि तथ्य हमारे सामने आये है जिसमें अपीलान्ट को उक्त त्रुटी बाबत जानकारी के पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत अपील में विलम्ब को क्षमा किया जाना हम उचित समझते हुए प्रस्तुत अपील पत्र पर बहस सुनकर निर्णय किया जाना न्यायसंगत समझते है।

अपील पत्रावली पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, पंजीकृत विकय विलेख के अवलोकन से पाया कि वर्णित भूमि का विकय श्रीमति केलीबाई पति नारायण धाकड ने अपना हिस्सा वेणा पिता कालू जी धाकड कोक विकय किया है, नामान्तरण संख्या 99 का अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तरण संख्या 99 विकय रजिस्टड्ढ संख्या 399 पृष्ठ संख्या 351–352 पुस्तक संख्या 1 जिल्दा संख्या 2 दिनांक 28.10.1974 के कम में खोला गया है, मौजा तुरकडी की आराजी किता–5 रकबा 7बीघा 5 बिस्वा भूमि मे से श्रीमति केलीबाई पति नारायण धाकड द्वारा अपना हिस्सा 1/4 का विकय किया जाने से नामान्तरण का अंकन किया गया जिसमें की गई पृविष्ठी अनुसार अंकन ताराचंद्र वल्द डूगा 1/4, देवी पिता कालू

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

1/4, वेणा पिता कालु 1/4 धाकड सा.देह के नाम का अंकन किया हुआ है। अपीलान्ट ने अपने अपील पत्र में कथन किया है कि उक्त नाम वेणा पिता कालू के स्थान पर कालू पिता वेणा का नाम का अंकन होना चाहिए था, जिसकी पुष्टी में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत रायता द्वारा अपने जवाब में अंकन किया है कि बेणा पिता कलू धाकड निवासी तुरकडी के स्थान पर कालू पिता वेणा धाकड तकनीकी भूल व गलती से लिखा गया है। इस प्रकार भूगि का विक्रय वेणा पिता कालू को हुआ है अथवा कालू पिता वेणा का हुआ है यह मामला जॉच कराते हुए खोले गये नामान्तरण में सही अंकन कराने का प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है मौजा तुरकडी का नामान्तरण संख्या 99 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, बेगूॅ को प्रेषित किया जाकर आदेषित किया जाता है कि वह वर्णित भूमि के पंजीकृत विक्रय अनुसार एवं अपीलान्ट के नाम की सही जानकारी प्राप्त करते हुए पुनः नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 25.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

25/9/19

(रमेश सीरवी मुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी,बेगूॅ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूॅ को पालनार्थ दी जाती है।

Scanned by CamScanner